कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकसवेल फोन न. 0291-2636753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ(104)एफ.सी.ए / उवसं / 2018 / दिनांक:

प्राप्ति क्र. 295
दिनांक 18.1.19

निमित्

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
अरण्य भवन, जयपुर

विषयः Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/32975/2018)

प्रसंगः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्र सं. 8बी / राज. / 06 / 30 / 2018 / एफसी / 560 दिनांक 31.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड़ (Proposal No. FP/RJ/ROAD/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र सं. 8बी / राज. / 06 / 30 / 2018 / एफसी / 560 दिनांक 31.12.2018 से शर्ताधीन जारी हुई सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 11707 दिनांक 01.01.2019 एवं पत्रांक 11748 दिनांक 02.01.2018 पत्र से अधिरोपित शर्तो की पालना रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत् यूजर एजेन्सी को लिखा गया था। यूजर एजेन्सी ने पत्र क्रमांक:17006 / 1 / 2019 / जेआरआर / वन / 078 दिनांक 11.01.2019 से मय वांछित वचनबद्धताओ के साथ पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु 1,36,830 / –प्रति हैक्टर की दर से 15.068 हैक्टर हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रूपये 20,61,755 / –राशि कैम्पा, न्यू दिल्ली में जमा करवाकर, पालना कर दी है।

2 (क) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि 7.534 हैक्टर वनभूमि के लिए 4.38 लाख रूपये प्रति हैक्टर की दर से कुल राशि 32,99,892 / –रूपये ऑनलाइन कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करवाकर पालना कर दी है।

(ख) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी) हेतु कुल रू. 53,61,647.00 (20,61,755.00 + 32,99,892.00) कैम्पा नई दिल्ली के कार्पोरेशन बैंक के खाते में UTR NO. CNRBR52019010500584426 (प्रति संलग्न) से जमा करवाकर पालना सुनिश्चित कर दी गयी है।

(ग) यदि एन0पी0पी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण जमा जमा करवाने के लिए सहमत है तथा इस आशय की **वचनबद्धता** प्रस्तुत की है।(संलग्न)

3 इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्लॉट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नहीं है। जिसके स्पष्टीकरण हेतु यूजर एजेंसी द्वारा उक्त खसरे में नामान्तरकरण संख्या 1226 दिनांक 04.01.2019 से रकबा 7.10 बीघा–बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अमलदरामद एवं तरमीम करवाकर दस्तावेज प्रस्तुत किये (प्रति संलग्न) है।

4 इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से 6 माह के भीतर मुक्त करवाने।

इस क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण राज्य सरकार की सहायता से 6 माह के भीतर मुक्त कराने बाबत् अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई है आवश्यकता होने पर इस क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सभी दस्तावेजों सहित एक self containd note अनुपालना के साथ प्रेषित करने बाबत् प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई है।

5 विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमास्तभो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं व्यय पर करवाने तथा अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाये जाने और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखवाने के लिए यूजर एजेंसी सहमत है एवं इस आशय की **वचनबद्धता का प्रमाण** प्रस्तुत किया है। (संलग्न)

6 प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगें कि IRC के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेन्ट्रल जोन बेन्च, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दी गयी आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा–निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा । प्रयोक्ता अभिकरण उक्त पालना के लिए सहमत है तथा इस आशय की **वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत** किया है। (संलग्न)

7 वृक्षो का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वनविभाग की देख रेख में करवाये जाने के लिए यूजर एजेंसी सहमत है तथा इस आशय का **वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत** किया है। (संलग्न)

8 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डर टेकिंग दी गई है कि नवीनतम तकनीकी से परियोजना निर्माण कार्य किया जायेगा अतः मक नहीं सृजित होगा परन्तु अपरिहार्य स्थिती में यदि मक सृजित होगा तो दूर स्थित ग्राम चौपासनी के PWD के खसरा न0 7 में सुरक्षित डिस्पोजल किया जायेगा।

9 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो की पालना करने के लिए सहमत है तथा इस आशय का **वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत** किया है। (संलग्न)

10 सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के उपरान्त भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति एवं कार्यानुमति आदेश जारी होने से पहले मौके पर किसी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि संचालित न की जाने तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो का उल्लघंन यूजर एजेंसी द्वारा नहीं किया किया जाने की सहमति दी गई है। इस आशय की **वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत** किया है(संलग्न)। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

11 कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0 (pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी निर्देशो की अनुपालना के उपरान्त, राज्य सरकार के सक्षम स्तर से कार्य अनुमति जारी न होने तक मौके पर किसी भी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि यूजर एजेंसी द्वारा नहीं की जायेंगी इस आशय की **वचनबद्धता प्रस्तुत** की है। (संलग्न)

12 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए, जयपुर के पत्र f14( )रोड़/2018/fca/प्रमुवसं/4279–80 दिनांक 01.01.2019 के निर्देशानुसार एवं भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012–एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अग्रेजी) मे यूजर एजेंसी ने प्रकाशित करवाकर मूल अखवार संलग्न प्रस्तुत कर पालना सुनिश्चित कर दी है।(संलग्न)

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की उक्तानुसार पालना प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में अविलम्ब विधिवत स्वीकृति जारी करवाने की कृपा करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(हनुमानाराम)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांकःसम/776 दिनांक 18/01/2019

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, महोदय जोधपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,परियोजना कार्यान्वयन इकाई,जोधपुर 188,उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर–342011

उप वन संरक्षक
जोधपुर